न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 25/2023

उनवान

1. श्री गोरू पुत्र श्री भैरू बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. लक्ष्मण पुत्र श्री भैरू जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बंशी लाल पुत्र श्री हरी सिंह जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप।
2. श्याम लाल पुत्र श्री हरी सिंह जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
3. शिव लाल पुत्र श्री हरी सिंह जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
4. देवा लाल पुत्र श्री हरी सिंह बंजारा जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
5. अनोप सिंह पुत्र श्री गोरधन सिंह जाति राजपुत नि0 गोडो का खेडा मंगरोप ।
6. गंगा पुत्र खेमा जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
7. गोमा पुत्र नारायण जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
8. चतरू पुत्र गच्चा जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
9. बाबूलाल पुत्र गच्चा बंजारा जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
10. राजु पुत्र गच्चा बंजारा जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
11. किशन पुत्र बिहारी बंजारा जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
12. शंकर पुत्र गोती बंजारा जाति बंजारा नि0 बंजारो का खेडा मंगरोप ।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भूँ-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 30.01.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप भू.अ.नि. मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 985 की आ.न. 3922/2 रकबा 1.0369है0, आराजी नम्बर 3923/2 रकबा 0.1265है0, आराजी नम्बर 3924/3 रकबा 0.0379है0, आराजी नम्बर 3925/1 रकबा 0.0253है0, आराजी नम्बर 3926/2 रकबा 0.4932है0, कुल किता 05 रकबा 1.7198है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 08.02.2023 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 12 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

-::आदेश::-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप भू.अ.नि. मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 985 की आ.न. 3922/2 रकबा 1.0369है0, आराजी नम्बर 3923/2 रकबा 0.1265है0, आराजी नम्बर 3924/3 रकबा 0.0379है0, आराजी नम्बर 3925/1 रकबा 0.0253है0, आराजी नम्बर 3926/2 रकबा 0.4932है0, कुल किता 05 रकबा 1.7198है0 भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

जिसकी पत्थरगढ़ी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 700/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा करावे, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ